राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः29.08.2017

परिपत्र-22

विषयः- भामाशाह योजना प्लेटफार्म व पहचान पोर्टल (जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन) को एकीकृत (Intigration) करने बाबत।

जैसा कि आपको विदित है आयोजना विभाग के परिपत्र संख्या-21 दिनांकः 24.05.17 अनुसार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 57 के क्रम में भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदायगी के लिए जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन सेवाओं में आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

उपरोक्त परिपत्र की पालना में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के फलस्वरूप भामाशाह योजना में पंजीकृत परिवार के डेटाबेस की स्थिति में आने वाले सापेक्ष परिवर्तन को लागू करने के लिए भामाशाह योजना प्लेटफार्म व पहचान पोर्टल (जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन) को एकीकृत (Intigration) करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैः-

जन्म पंजीयन

1. परिवार में पहचान पोर्टल पर पंजीकृत जन्म की जानकारी अनुसार संबंधित परिवार की मुखिया/व्यस्क सदस्य द्वारा भामाशाह नामांकन में निम्नानुसार अवधि सीमा में नये सदस्य का नाम, आधार संख्या व फोटो की सूचना जोड़ी/ अद्यतन करवाई जाएगी, सूचना अद्यतन नहीं होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड अस्थाई रूप से क्रियाशील नहीं रहेगाः-

   1.1 यदि पंजीकृत की आयु 6 वर्ष से कम है तो - जन्म दिनांक से 6 वर्ष 3 माह की अवधि में

   1.2 यदि पंजीकृत की आयु 6 वर्ष या अधिक है तो - पंजीयन दिनांक से 3 माह की अवधि में

मृत्यु पंजीयन

2. परिवार के मुखिया/सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पहचान पोर्टल पर पंजीकृत मृतक का संबंधित परिवार के भामाशाह नामांकन में से नाम हटा दिया जाएगा, लेकिन मृत्यु पंजीयन दिनांक से 60 दिवस की अवधि में भामाशाह नामांकन में संबंधित परिवार की मुखिया/व्यस्क सदस्य द्वारा अद्यतन (परिवार के भामाशाह नामांकन हेतु अनिवार्य यथा - मुखिया की जानकारी, मुखिया व एक अन्य

सदस्य का आधार, मुखिया का व्यक्तिगत बैंक खाता) नहीं करवाने की स्थिति में भामाशाह कार्ड अस्थाई रूप से क्रियाशील नहीं रहेगा।

विवाह पंजीयन

3. विवाह पंजीयन के समय निम्न सूचना दी जानी है :-

3.1 वर व वधू का आधार संख्या एवं

3.2 भामाशाह नामांकन संख्या, जिसमें वर/वधू की सूचना जोड़ी/अद्यतन की जानी है।

नोट :-

1. जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में भामाशाह नामांकन संख्या केवल राजस्थान के निवासियों से ही लिया जायेगा।
2. जन्म (पूर्व में भामाशाह में नामांकित), मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचना अनुसार पंजीयन किया जायेगा।

28/8

(अशोक जैन)
मुख्य सचिव, राजस्थान

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक: 29.08.2017

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर समस्त।
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
6. निदेशक तकनिकी, राजकाम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना व सू.प्रौ.एवं संचार विभाग